Website : www.alldstateuniversity.org E-mail ID- registrarasua@gmail.com

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

(पूर्ववर्तीः इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद)

Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.

(Formerly: Allahabad State University, Allahabad)

पत्रांकः प्रो0रा0सि0वि0वि0 / कु0स0का0 / 433 / 2019 दिनांक 8 अगस्त, 2019

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त अनुदानित / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
सम्बद्ध प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय,
प्रयागराज, उ0प्र0।

विषयः महाविद्यालय में अनुमोदित एवं कार्यरत् शिक्षकों का विवरण तथा समस्त शिक्षकों / प्राचार्य का विगत तीन वर्षों का बैंक के माध्यम से किए गए वेतन प्रमाण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में अध्यापन कार्य हेतु विश्वविद्यालय से अनुमोदित शिक्षकों / प्राचार्य की वास्तविक सूचनाएं विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं की जाती है जिस कारण महाविद्यालयों से सम्बन्धित सूचनाओं को उच्चाधिकारियों / शासन को प्रेषित किए जाने में कठिनाई उत्पन्न होती है, जबकि उक्त के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–968 / सत्तर–2–2013–18(99) / 2013 दिनांक 30 मई, 2013 **(संलग्नक–1)** के बिन्दु–3(01, 03, 05 एवं 06) में अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों तथा स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों से प्राप्त होने वाली आय एवं उसे व्यय किए जाने हेतु स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए हैं।

अतएव उपरोक्त के सम्बन्ध में मा0 कुलपति महोदया के आदेशानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप अपने महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में अध्यापन कार्य अनुमोदित एवं कार्यरत् शिक्षकों / प्राचार्य से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रपत्र विश्वविद्यालय को दिनांक 17 अगस्त, 2019 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराएं।

1. महाविद्यालय के समस्त बैंक खातों का स्टेटमेंट (विगत तीन वर्षों का)।
2. महाविद्यालय में पाठ्यक्रमवार पंजीकृत छात्र–छात्राओं की संख्या (विगत तीन वर्षों का)।
3. महाविद्यालय द्वारा छात्र–छात्राओं से लिया जाने वाला पाठ्यक्रमवार पृथक–पृथक शुल्क का विवरणं।
4. महाविद्यालय की विगत तीन वर्षों का आय–व्यय विवरण (बैलेंस शीट)।
5. महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के सम्बद्धता पत्र की छायाप्रति।
6. महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में अध्यापन कार्य हेतु अनुमोदित एवं कार्यरत् शिक्षकों के अनुमोदन पत्र की छायाप्रति।
7. महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में अध्यापन कार्य हेतु अनुमोदित एवं कार्यरत् समस्त शिक्षकों के वेतन खाते का स्टेटमेंट (विगत तीन वर्षों का)।
8. महाविद्यालय में अनुमोदित एवं कार्यरत् प्राचार्य का अनुमोदन पत्र।
9. महाविद्यालय में अनुमोदित एवं कार्यरत् प्राचार्य के वेतन खाते का स्टेटमेंट (विगत तीन वर्षों का)।
10. महाविद्यालय के प्राचार्य एवं समस्त शिक्षकों का आधार कार्ड की छायाप्रति, पैनकार्ड की छायाप्रति।

निर्धारित की गई तिथि तक उपर्युक्त सूचनाएं विश्वविद्यालय में उपलब्ध न कराने की दशा में महाविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2019–20 में प्रवेश छात्र–छात्राओं का आनलाइन आवेदन फार्म नहीं खोला जाएगा तथा महाविद्यालय के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए सूचना शासन को प्रेषित कर दी जाएगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय की होगी।

7/8/19
(प्रभाष द्विवेदी)
उपकुलसचिव
कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी / कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक।
3. उपकुलसचिव, परीक्षा / विधि / शैक्षणिक।
4. निजी सचिव कुलपति को, माननीया कुलपति महोदया के सूचनार्थ।

(प्रभाष द्विवेदी)
उपकुलसचिव
कृते कुलसचिव